(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2995–पीबीआर / 16 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–7–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया प्रकरण कमांक 54 / अ–12 / 15–16.

बलराम सिंह आत्मज जालम सिंह
कृषक एवं निवासी ग्राम कुल्होर
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

रामकली बाई पत्नी कन्हैया लाल
कृषक एवं निवासी ग्राम कुल्होर
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....अनावेदिका

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष उसके स्वत्व, स्वामित्व की ग्राम कुल्होर स्थित भूमि सर्वे कमांक 177 / 1 रकबा 1.542 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया द्वारा प्रकरण कमांक 54 / अ–12 / 15–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 11–7–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदक सहित पड़ोसी कृषको को सूचना दिया जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक को विधिवत सीमांकन की सूचना दी गई है, जो कि उस पर तामील हुई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत पड़ोसी कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में ई.टी.एस. मशीन से सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत 2 बैरसिया तहसील बैरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर